(7)

न्यायालय श्री राजेन्द्र सिंह चारण, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 05/2019 (जीसीएमएस संख्या – 2019/00016)
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

मु0 दिन्नी पत्नी स्व0 श्री गफूर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–कोटखावदा, जिला–जयपुर। (मृतक)

1. जुम्मी पुत्री स्व0 श्री गफूर खां पत्नी श्री बुन्दू खां, जाति–मुसलमान, निवासी–ग्राम करेडा बुजुर्ग, तहसील–निवाई, जिला–टोंक।
2. बाबू खां पुत्र स्व0 श्री गफूर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
3. बन्ना खां पुत्र स्व0 श्री गफूर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
4. इसाक खां पुत्र स्व0 श्री गफूर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
5. हम्मीद खां पुत्र स्व0 श्री गफूर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
6. स्लाम खां पुत्र स्व0 श्री गफूर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय

दिनांक : 04.04.2022

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004 में ग्राम कोटखावदा की आराजी खसरा नम्बर 3925 रकबा 10 बीघा सिवायचक किस्म जमीन गैर मुमकीन नला दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2022 में खसरा नम्बर 958 रकबा 10 बीघा परिवर्तित होकर गैर–मुमकीन नला दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004 में दर्ज गैर–मुमकीन नला आराजी की निजी खातेदारी नहीं दी जा सकती। अतः निजी खातेदारी खारिज फरमाई जाकर वापिस राजकीय सिवायचक किस्म जमीन गैर मुमकीन नला दर्ज किया जावे। तहसीलदार, चाकसू के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दिनांक 26.12.2008 को स्वीकार करते हुए प्रकरण को माननीय राजस्व

मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाने की आज्ञा दी जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा आज्ञा दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण में आवंटन नियमन पत्रावली का बिना अवलोकन किये आवंटन/नियमन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। साथ ही विवादित आराजी की वर्तमान मौका रिपोर्ट भी तलब नहीं की गयी, जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजी वर्तमान स्थिति अनुसार गैर–मुमकिन नला की है अथवा नहीं। अतः विवादित आराजी के आवंटन की मूल पत्रावली तलब करने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनकर आवश्यक होने पर पुनः रेफरेन्स प्रकरण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करें, जिसमें मौके पर कभी नला रहा है अथवा नहीं इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावे। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में तहसील, कोटखावदा के अन्तर्गत आने से माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञानुसार तहसीलदार, कोटखावदा को लिखे जाने पर तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा पुनः नया रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। पुनः नये सिरे से रेफरेन्स प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004 में ग्राम कोटखावदा की आराजी खसरा नम्बर 3925 रकबा 10 बीघा सिवायचक किस्म जमीन गैर मुमकीन नला दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2022 में खसरा नम्बर 958 रकबा 10 बीघा परिवर्तित होकर गैर–मुमकीन नला दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला नियमों के विपरीत आवंटित की जाकर खातेदारी दर्ज की गई है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम जरिये नामान्तरकरण खातेदारी दर्ज है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004 में सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला दर्ज है। एकीकरण में गैर–मुमकीन नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन/नियमन/हक खातेदारी हेतु वर्जित

न्यायालय अति. कलक्टर (...) जयपुर

है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम, 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला भूमि की निजी खातेदारी दर्ज की गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। वादग्रस्त आराजी के आवंटन/नियमन को 60 वर्ष की अवधि हो चुकी है। तहसील में आवंटन पत्रावली नहीं होना जाहिर किया गया है परन्तु वर्ष 1960 में किये गये आवंटन की सूची उपलब्ध हुई है जो तहसीलदार–प्रार्थी ने पेश की है जिसके क्रमांक 78 पर गफूर खां पुत्र इलाईबक्स को बतौर आवंटी का इन्द्राज है और जरिये नामान्तरकरण संख्या 751 आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये गये है। नामान्तरकरण संख्या 357 के कॉलम संख्या 14 व 16 से दिनांक 23.08.1960 को आवंटन किया जाना जाहिर है। आवंटित आराजी के संबंध में पटवारी हल्का कोटखावदा दक्षिण की रिपोर्ट दिनांक 25.10.2019 में स्पष्ट रिपोर्ट की गई है कि मौके पर नाले नुमा संरचना बनी हुई है व वर्षा के समय बहाव क्षेत्र बनता है। इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशों की परिधी में वादग्रस्त आराजी आती है क्योंकि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2004 में गैर–मुमकीन नला दर्ज थी और इसे आवंटित किया गया है तथा इस आराजी की मौके पर नाले नुमा संरचना बनी हुई है व वर्षा के समय बहाव क्षेत्र बनता है। इसीलिए पुनः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन किये जाने के फलस्वरूप राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में समय सीमा बाधित नहीं है। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004 में ग्राम कोटखावदा की आराजी खसरा नम्बर 3925 रकबा 10 बीघा सिवायचक किस्म जमीन गैर मुमकीन नला दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2022 में खसरा नम्बर 968 रकबा 10 बीघा परिवर्तित होकर गैर–मुमकीन नला दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004 में दर्ज सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला व एकीकरण सम्वत् 2022 में दर्ज किस्म

जमीन गैर–मुमकिन नला को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004 से होती है और इस आराजी को आवंटन के फलस्वरूप निजी खातेदारी दी गई है, खातेदारी के पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 ग्राम–कोटखावदा से होती है। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में निजी खातेदारी दर्ज है। पटवारी हल्का कोटखावदा दक्षिण ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.10.2019 में वादग्रस्त आराजी पर नाले नुमा संरचना बनी हुई होना व वर्षा के समय बहाव क्षेत्र बनता है, की रिपोर्ट की है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नहीं दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती है। नियमानुसार सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई है/ली गई है जो प्रारम्भ से शून्य है। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ है तो यह प्रभाव शून्य है। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी जो निजी खातेदारी में दर्ज है, के संबंध में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 08.06.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 04.04.2022 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(राजेन्द्र सिंह चारण)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर